वादपत्र संख्या 15/2017

अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. श्रीमती सिमरजीत कौर पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 39 जी बी श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर वर्तमान निवासी 9 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर

.....वादी

बनाम

1. दर्शनपाल कौर पत्नी सरदूल सिंह जाति जट सिख निवासी 5 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर
2. ज्योतिगिल पुत्री सरदूल सिंह जाति जट सिख निवासी 5 जैड तह. व जिला श्रीगंगानगर
3. प्रेमसागर पुत्री सत्य स्वामी जाति ब्राह्मण निवासी 9 जैड वर्तमान निवासी 7 बी ब्लॉक, रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री ओमप्रकाश बतरा अधिवक्ता (वादी)
श्री तेजासिंह अधिवक्ता (प्रति.–1 ता 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

– निर्णय – दिनांक :– 01-05-2018

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार वादीया व उसके परिवार का जीवन निर्वाह खेती आय पर निर्भर होने से उसने प्रतिवादी संख्या 3 से जरिये बैयनामा दिनांक 05.08.2015 रजिस्टर्डशुदा चक 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/38, मु.नं.4 के किला नं. 14 में 0.1686 हैक्टर (किला नं.13 के साथ चिपता हुआ) व किला नं. 17 में 0.0844 हैटर (किला नं. 18 के साथ चिपता हुआ) कुल रकबा 0.253 हैक्टर नहरी कय किया गया, बैयनामा की नकल शामिल है। रजिस्ट्री बैयनामा करवाते समय उपरोक्त कृषि भूमि पर बैंक लोन होने के कारण बेयनामा के आधार पर वादीया के खरीदशुदा भूमि का इंतकाल उसके नाम नहीं हो सकता जबकि कब्जा वादीया का चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वादीया को बैयनामा करवाने के उपरान्त बैंक लोन अदा कर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से भूमि दर्ज होने का अनुचित लाभ उठा कर गलत खिलाफ कानून, बिला अधिकार वादीया की खरीदशुदा भूमि में से मु.नं.4 के किला नं. 17 सालम अपने नाम दर्ज होने से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा के प्रतिवादी सं. 1 व 2 को विकय कर दिया गया जिसके आधार पर प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा चुपचाप गलत तौर से मु.नं.4 के किला नं.17 का 0.0844 हैटर वादीया का खरीदशुदा रकबा की बाबत भी गलत तौर से इंतकाल कथित शून्य बैयनामा के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा लिया, अतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में करवाया गया बैयनामा दिनांक 05.05.2016 जो कि वादीया के खरीदशुदा रकबा चक 9 जैड के मु.नं. 4 के किला नं. 17 की 0.0844 हैक्टर की दर तक शुरू से शून्य था के आधार पर गलत इंतकाल संख्या 487 अपने नाम दर्ज करवा लिया तथा यह इंतकाल भी इस हद तक शुरू से शून्य है, अतः वादीया के खरीदशुदा रकबा मु.नं. 4 किला नं. 17 की हद तक बैयनामा तथा इंतकाल शुरू से शून्य होने कब्जा के अभाव में गलत व बिला अधिकार करवाये जाने से वादीया के अधिकारों पर शुरू से बेअसर है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कानूनन वादीया के खरीदशुदा रकबा की हद तक कोई हक व अधिकार हासिल नहीं हुए क्योंकि वादीया के हक में बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में करवाने से पूर्व ही करवाया जा चुका था तथा

किला नं. 17 की हद तक शुरू से शून्य है का अनुचित लाभ उठा कर ना केवल वादीया को जबरन बेदखल करने बल्कि रकबा को मुंतकिल करने की कोशिश में यदि वह इसमें सफल होते हैं तो वादीया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा, अतः वादीया के लिए दावा हाजा लाना, अपने अधिकारों की घोषणा करवाना तथा डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया कि वह प्रतिवादी सं. 3 से वादीया द्वारा जरिए रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.08.2015 के चक 9 जैड के खाता संख्या 38/38, मु.नं. 4 के किला नं. 17 के 0.0844 हैक्टर नहरी की हद तक अपने हक मे करवाये गये बैयनामा दिनांक 05.05.2016 व इसके आधार पर करवाये गये इंतकाल नं. 487 जो कि शुरू से शून्य है को शून्य मान कर तथा वादीया को उपरोक्त रकबा का खातेदार मान कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाये तथा वादीया को जबरन बेदखल करने व अन्य किसी को मुंतकिल करने से बाज व ममनु रहे मगर प्रतिवादीगण लालचवश होने से दिनांक 29.01.2017 को साफ इंकारी है, अतः यही बिनाए मुखासमत है तथा दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया है तथा राजस्व रिकार्ड में आवश्यक संशोधन करवाया जाकर वादीया के खरीदशुदा रकबा की हद तक वादीया को खातेदार घोषित करवाया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से डिक्री की जावे कि –

(क) डिक्री घोषणा इस अमर की सादिर की जावे कि वादीया जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.08.2015 के प्रतिवादी संख्या 3 से खरीद की गई कृषि भूमि चक 9 जैड तक श्रीगंगानगर के खाता संख्या 38/38, मुरब्बा नम्बर 4 के किला नं. 17 में 0.0844 हैक्टर (किल नं. 18 के साथ चिपती हुई) की खातेदार काश्तकार काबिज व हकदार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा करवाया गया बैयनामा दिनांक 05.05.2016 वादीया के खरीदशुदा रकबा किला नं. 17 की हद तक शुरू से गलत खिलाफ कानून बिला अधिकार होने से व शून्य होने तथा इसके आधार पर करवाया गया इंतकाल नं. 487 भी शुरू से शून्रू होने से वादीया के अधिकारों पर बेअसर है, अतः राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती करते हुए वादीया का नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

(ख) डिक्री स्थायी निषेधाज्ञ इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादीगण वादीया के खरीदशुदा उपरोक्त रकबा चक 9 जैड के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नं. 17 में 0.0844 हैक्टर (किल नं. 18 के साथ चिपती हुआ कब्जा काश्त में स्वयं अथवा अन्य के माध्यम से मदाखलत करने, जबरन बेदखल करने से बाज व ममनु रहे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिए अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी सं.1 व 2 की ओर से जवाबदावा दिनांक 17.03.2017 को पेश हुआ जिसके तथ्यानुसार दावा की चरण संख्या 2 में जिस प्रकार से तथ्य दर्ज किये गये हैं, वो आंशिक रूप से स्वीकार है। चक 9 जैड के खाता संख्या 38/38 के मुरबा नं. 4 के किला नं. 17 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से जरिये बैयनामा खरीद की हुई है। जहां तक इंतकाल का प्रश्न है, इन्तकाल तो बैयनामा के आधार पर हुआ है। वादी का कहना है कि मु.नं. 4 का किला नं. 17 में 0.0844 यानि करीब पाने सात बिस्वा रकबा खरीद किया है, बाकी शेष 13¼ बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के कब्जा में है। दावा की चरण संख्या 5 में दर्ज तथ्य अस्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई गलत खरीद व इंतकाल दर्ज नहीं करवाया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा पूर्ण कन्सीड्रेशन लेकर बैयनामा करवाया है। हालांकि किला नं. 17 का पूरे बीघा का ही बैयनामा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से है लेकिन जहां तक वादीया का कहना है कि कुल हिस्सा करीब पोने सात बिस्वा हमने पूर्व में खरीद किया हुआ है, जिसकी डबल बैयनामा हो गया है, इसलिए 0.0844 तक अगर दुरूस्ती की जाती है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई ऐतराज नहीं है शेष किला नं. 17 में

0.169 यानि सवा तेरह बिस्वा भूमि प्रतिवादी करीब 1 व 2 के नाम रखी जावे। क्योंकि पक्षकारों का आपस में समझोता हो गया है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 की खरीदशुदा भूमि मु.नं.4 किला नं. 17 में 0.169 हैक्टर भूमि की हद तक खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से इन्तकाल यथावत रखा जावे तो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को कोई ऐतराज नहीं होगा।

प्रतिवादी–3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी–3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.03.2017 को की गई।

वादी एवं प्रतिवादी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 18.07.2017 को राजीनाम पेश किया जिसके तस्दीक किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 01 अगस्त, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र में राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इस प्रकार राज्यहितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन किया जाकर प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया।

अतः पक्षकारान, राजीनामा के अनुसार वर्णित कृषि भूमि के लिये खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

।। आदेश ।।

अतः पक्षकारान के मध्य निष्पादित राजीनामा दिनांक 18 जुलाई, 2017 के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 9 जैड तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 38/38 का मुरबा नम्बर 4 के किला नम्बर 17 में 0.0844 हैक्टर कृषि भूमि (किला नं. 18 के साथ चिपता हुआ) का वादीया को खातेदार घोषित किया जाता है।

वादव्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय पक्षकारान की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 01-05-2018 को जारी किया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर